292

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of : 1. Director (Headquarters), Directorate General of Health Services —Chairman 2. Deputy Director (General) Directorate General of Health Services —Member 3. Deputy Director (Administration), Directorate General of Health Services —Member 4. Under Secretary, Ministry of Health and Family Welfare —Member	Not applicable.

[F. No. A.- 12018/02/2011-Admn.II/Estt.III]

PREM NARAIN, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2015

सा.का.नि. 203 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1982, को जहां तक उनका संबंध बढ़ई के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में बढ़ई के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में बढ़ई (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—पद संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

293

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बढ़ई	7* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड 1, वेतनमान 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने के नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी, उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण (ii) किसी मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या समतुल्य संस्थान से बढ़ई व्यवसाय में प्रमाणपत्र ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(7)
टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण : पदधारी की प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी । (क) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं, और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव है ।	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. उप निदेशक, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली —अध्यक्ष	लागू नहीं होता

(12)
2. सहायक निदेशक, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली —सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली —सदस्य 4. कमान अधिकारी, मिलिटरी अस्पताल, कसौली या उसके प्रतिनिधि —सदस्य

[फा. सं. ए-12018/04/2014-ईपीआई]

सुनील कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 19th October, 2015

G.S.R. 203 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Research Institute, Kasauli (Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1982, insofar as they relate to the post of Carpenter, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Carpenter, in the Central Research Institute, Kasauli in the Ministry of Health and Family Welfare namely :—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Research Institute, Kasauli, Carpenter (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.**— The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.** - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other backward classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

296

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Carpenter	7* (2015) *Subject to variation dependent on the workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-I, Rs. 5200—20200 with grade pay of Rs. 1800	Not applicable	Between 18 and 25 years. Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). Note 2 : In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
(i) Matriculation or equivalent pass from a recognised Board; and (ii) Certificate in Carpentry trade from a recognised Industrial Training Institute or equivalent. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable	Two years

297

Note: The Ministry of Health and Family Welfare, Central Research Institute, Kasauli, Library Attendant, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2016 were published in the Gazette of India, Part-II, Section 3,Sub-Section (i), dated the 13th August, 2016, *vide* number G.S.R. 170, dated the 5th August,2016.

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2019

सा.का.नि. 227.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, बढ़ई (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2015 के संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, बढ़ई (समूह 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, बढ़ई (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2015 में, -

(क) नियम 2 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"**2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर –** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।"

(ख) अनुसूची के स्तंभ (4) में स्तंभ शीर्षक और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर -1 (18000 -56900 रुपये)" ;

[फा. सं. ए. - 12018/12/2016-ईपीआई]

जी.के. पिल्लई, अवर सचिव

टिप्पण : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, बढ़ई (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2016 को भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड -3, उपखंड – (i), तारीख 31 अक्टूबर, 2015 में संख्यांक सा. का. नि. 203, तारीख 19 अक्टूबर, 2015 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

New Delhi, the 17th July, 2019

G.S.R. 227.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution ,the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Health and Family Welfare, Central Research Institute, Kasauli, Carpenter (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2015, namely:-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Research Institute, Kasauli, Carpenter (Group 'C' post) Recruitment (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Health and Family Welfare ,Central Research Institute, Kasauli, Carpenter (Group 'C' post) Recruitment Rules,2015,-

(a) for rule 2, the following rule shall be substituted, namely :-